न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 63/2023/अपील/गुण्डा निय0 अधि0/कोटा
दायरा दिनांक : 18.12.2023
अन्तर्गत धारा : 6 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उनवान

जितेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0 18, गणेश मंदिर के पास, कैथून, थान कैथून, जिला कोटा

...अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना कैथून, जिला कोटा

...रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित : श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 15.04.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 (गुण्डा एक्ट) (अधीनस्थ न्यायालय) राज्य सरकार बनाम जितेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 6 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/गैरसायल के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान होने से गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होने से पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने के प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के धारा 3(1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित होने पर जिला बदर किया जाना उचित समझते हुए **जितेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0 18, गणेश मंदिर के पास, कैथून, थान कैथून, जिला कोटा** को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत 7 दिवस (दिनांक 02.08.2023 से प्रारम्भ) के लिए थाना कैथून, जिला कोटा की सीमा से जिला झालावाड़ के लिए निष्काषित किये जाने का निर्णय दिनांक 13.07.2023 पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 (गुण्डा एक्ट) (अधीनस्थ न्यायालय) राज्य सरकार बनाम जितेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी के द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 6 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं संविधान के मूल अधिकारों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे, किंतु दिनांक 13.07.2023 को जो प्रार्थना–पत्र शामिल किया गया उसकी जानकारी न तो अपीलार्थी को और न ही उसके अधिवक्ता को है। जिससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा पूर्व में ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाकर प्रकरण/परिवाद के साथ पत्रावली में शामिल कर रखा है। उक्त विवाद प्रार्थना–पत्र से अपीलार्थी सहमत नहीं है, साथ ही परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में जिला बदर किये जाने पर परिवार पर संकट आने से अपीलार्थी का मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 13.07.2023 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं संविधान के मूल अधिकारों के विपरित है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्यायोचित होने से निरस्त किया जावे।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलवी के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने के प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल/अपीलार्थी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के धारा 3(1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित होने पर जिला बदर किया जाना उचित समझते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत 7 दिवस (दिनांक 02.08.2023 से प्रारम्भ) के लिए थाना कैथून, जिला कोटा की सीमा से जिला झालावाड़ के लिए निष्काषित किये जाने का निर्णय दिनांक 13.07.2023 पारित किया गया। चूंकि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जिला बदर किये जाने की अवधि समाप्त हो चुकी है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (b) "Goonda" means a person who (v) has been convicted not less than twice under Rajasthan Public Gambling Ordinance, 1949 (Rajasthan Ordinance No. 48 of 1949) के अनुसार आरपीजीओ के तहत गैरसायल/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने के प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल/अपीलार्थी को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के धारा 3(1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित होने पर जिला बदर किये जाने का निर्णय दिनांक 13.07.2023 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित पाते हैं। परिणामस्वरूप जिला बदर किये जाने की अवधि समाप्त होने से अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर, न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा